रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 1985/फाल्गुन 14, 1906
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 1985/PHALGUNA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1985

सा. का. नि. 139(अ) :—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं, 24/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [सा. का. नि. 119 (अ)] और 25/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [सा. का. नि. 120(अ)] तारीख 28 फरवरी, 1985 में "जितना मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक है" शब्दों के स्थान पर "जितना उक्त

अधिनियम के अधीन, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर मूल्यानुसार एक प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ।" शब्द पढ़ें ।

[फा. सं. 18/1/85-के. उ. शु-1]

बी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th March, 1985

G.S.R. 139(E).—In the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue Nos. 24|85-Central Excises [G.S.R. 119(E)] and 25|85-Central Excises [G.S.R. 120(E)], dated the 28th February, 1985, for "as is in excess of one per cent ad valorem.", read "under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of one per cent ad valorem.".

[F. No. 18|1|85-CX.I]

B. R. TRIPATHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985